महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,** विनियमित क्षेत्र, शाहजहाँपुर।
2. **उपाध्यक्ष,** वाराणसी / प्रयागराज / कानपुर / लखनऊ / आगरा / मेरठ / गोरखपुर / गाजियाबाद / बरेली / मुरादाबाद / अलीगढ़ / झाँसी / फिरोजाबाद–शिकोहाबाद / सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / मथुरा–वृन्दावन / रामपुर / हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2023**

विषयः Integrating Essential Components in Master Plans विषयक गाईडलाईन्स के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2023-24"- Part-III (Urban Planning Reforms) विषयक गाईडलाईन्स निर्गत की गई है। उक्त गाईडलाईन्स के अन्तर्गत नगरीय योजना सुधारों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुधारों हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के प्राविधान दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त गाईडलाईन्स के प्रस्तर–3.8 में 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की महायोजनाओं में निम्नलिखित प्राविधानों को सम्मिलित करने की स्थिति में प्रत्येक महायोजना हेतु रू0 50 करोड़ का प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की गई है:–

3.8.1 Overview of the reform: States need to prepare a master plan for 0.5 million plus cities with following essential components :

(i) States need to amend their cities Master Plan/Development Plan through notifications and need to integrate the essential planning components as mentioned below:

(ii) Transportation network/mobility plan:-Proposal for new roads (ROW of 18m and more), junctions, transportation hubs, etc. apart from the widening of the existing road network. Mobility plan including inter and intra city connectivity,.

(iii) Blue and Green infrastructure : Identifying and integrating the existing water bodies with master plan along with clear contour survey and urban flood prevention plan. Proposal for green public spaces, urban forest, lakefronts, riverfronts, canal fronts, place making etc.

(iv) Economic Planning : Identification of economic activities, resources, and their integration with transport network.

(v) Land use plan: Proposed land use plan including area dedicated for economic activities/industrial development business districts markets/trading centers, transportation hubs and Affordable Housing.

3.8.2 Milestones and fund allocated :

Out of 4 components, inclusion of any of the 3 in the draft master plan will be considered for the reform. An incentive amount of Rs. 50 crore per city will be provided to

the State.

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विकास क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र की संरचित की जा रही महायोजना में उक्त के संबंध में विस्तृत प्राविधान पृथक–पृथक अध्याय के रूप में सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नितिन रमेश गोकर्ण

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(4) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by अरूणेश कुमार द्विवेदी

Date: 2[illegible]-0[illegible]-2023 [illegible]22

Reason: Approved

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव।